महात्मा गांधी

प्रवासी सुरक्षा योजना

भारतीय प्रवासी कर्मकारों के लिए मार्गदर्शिका

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना (एमजीपीएसवाई) क्या है?

यह ईसीआर देशों में काम करने वाले प्रवासी भारतीय कर्मकारों के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय (एमओआईए) की एक एकीकृत सामाजिक सुरक्षा स्कीम है। जब आप विदेश में कार्य कर रहे होते हैं, तो यह स्कीम आपको प्राकृतिक मृत्यु और दुर्घटना में हुई मृत्यु अथवा स्थाई विकलांगता की स्थिति में बीमा कवर प्रदान करती है तथा आपके पुनर्वासन और वृद्धावस्था पेंशन के लिए नियमित रूप से बचत करने में भी सहायता करती है।

एमओआईए आपकी पेंशन, पुनर्वासन के लिए भी आपको प्रोत्साहित करने और इसमें आपकी सहायता करने के लिए सह-योगदान भी करेगा तथा बिना किसी अतिरिक्त लागत के आपको बीमा भी उपलब्ध कराएगा।

एमजीपीएसवाई

↓

↓ ↓ ↓

पेंशन स्कीम	**वापसी और पुनर्वासन**	**बीमा**
(एनपीएस लाइट-पीएफआरडीए)	**खाता (यूटीआई)**	**(एलआईसी)**

एमजीपीएसवाई के माध्यम से क्या लाभ प्रदान किए जाते हैं?

एमजीपीएसवाई के अंतर्गत पंजीकृत सब्सक्राइबर निम्न 3 महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे:

1. पीएफआरडीए विनियमित एनपीएस - लाइट के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन सुरक्षा।
2. सेबी विनियमित म्यूचुअल फंड (यूटीआई मासिक आय स्कीम) के माध्यम से "वापसी और पुनर्वासन (आरएंडआर) स्कीम" के रूप में अल्पकालिक बचत।
3. आईआरडीए विनियमित जीवन बीमा कंपनी के माध्यम से प्राकृतिक मृत्यु और दुर्घटना में हुई मृत्यु अथवा स्थाई विकलांगता की स्थिति में बीमा कवर।

एमजीपीएसवाई में कौन शामिल हो सकते हैं?

18 और 50 वर्ष की आयु के व्यक्ति जिनके पास ईसीआर पासपोर्ट और वैध कार्य परमिट हो अथवा किसी ईसीआर देश में नियोजन संविदा हो, इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं।

एमजीपीएसवाई में अंशदाता के प्रति सरकार कितनी राशि का योगदान करती है?

सरकार एमजीपीएसवाई स्कीम के अंतर्गत पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा कर्मचारी की भारत में वापसी तक, जो भी पहले हो, सह-अंशदान करेगी। सह-अंशदान को उद्देश्य अंशदाता को एमजीपीएसवाई में बचत के लिए प्रोत्साहित करना तथा एमजीपीएसवाई स्कीम पार्टनरों

द्वारा एमजीपीएसवाई के अंतर्गत प्रभावित किए जाने वाले अंशदाता अनुरक्षण प्रभारों की पूर्ति करना है। एमजीपीएसवाई के अंतर्गत सह-योगदान है:

क. ऐसे सभी एमजीपीएसवाई अंशदाताओं के लिए जो एनपीएस-लाइट में प्रति वित्तीय वर्ष 1,000/- रु0 से 12,000/- रु0 के बीच बचत करते हैं, स्वावलंबन प्लेटफार्म की तर्ज पर 1,000 रु0 प्रतिवर्ष का सह-अंशदान;

ख. ऐसी प्रवासी भारतीय महिला कर्मचारों के लिए जो एनपीएस-लाइट में प्रति वर्ष 1,000/- रु0 से 12,000/- रु0 के बीच बचत करती हैं, एमओआईए द्वारा प्रति वर्ष 1,000/- रु0 का अतिरिक्त सह-अंशदान;

ग. ऐसे प्रवासी भारतीय कर्मकारों के लिए जो वापसी एवं पुनर्वास के अंतर्गत प्रतिवर्ष 4,000/- रु0 की बचत करते हैं, एमओआईए द्वारा 900/- रु0 का विशेष वापसी एवं पुनर्वास सह-अंशदान;

घ. जीवन बीमा के लिए अंशदान नि:शुल्क है।

एमजीपीएसवाई में शामिल होने की प्रक्रिया क्या है?

एमजीपीएसवाई में शामिल होने के लिए अंशदाता निम्न से संपर्क कर सकता है -

- आपके शहर में प्रचालन कर रहा एमजीपीएसवाई के लिए नियुक्त कोई सेवा प्रदाता;
- वह भारम में पीओई कार्यालयों में तथा ईसीआर देशों में भारतीय मिशन कार्यालयों में एमओआईए द्वारा नियुक्त सेवा प्रदाता द्वारा स्थापित किए गए विशेष नामांकन काउटंर पर भी एमजीपीएसवाई खाता खोल सकता है।

आपको विनिर्दिष्ट एकीकृत एमजीपीएसवाई आवेदन-प्ररुप भरना होगा तथा अपने 3 पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ के साथ पासपोर्ट की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

इस स्कीम में शामिल होने के लिए आपके पास एक वैध बैंक खाता होना चाहिए। यदि आपके पास वैध बैंक खाता नहीं है, तो आप अपने निवास के शहर में प्रचालन कर रहे एमओआईए द्वारा नियुक्त सेवा प्रदाता की सहायता ले सकते हैं अथवा निकटतम बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं। ऐसे अंशदाताओं के लिए, जो पहले ही से विदेशों में कार्य कर रहे हैं, उन्हें भारत में अनिवासी बाह्य (एनआरई)/अनिवासी सामान्य (एनआरओ) बैंक खाता खोलने की आवश्यकता होगी।

केवाईसी क्या है ?

केवाईसी का अर्थ है 'अपने ग्राहक को जाने'। केवाईसी की आवश्यकता एमजीपीएसवाई अंशदाता की पहचान स्थापित करने के लिए अपेक्षित है। इसका अर्थ है एमजीपीएसवाई

अंशदाता को पहचानना तथा विश्वसनीय, और स्वतंत्र स्रोत दस्तावेजों, आंकड़ों अथवा सूचना का प्रयोग करते हुए उसकी पहचान को सत्यापित करना । एमजीपीएसवाई में, सेवा प्रदाता ग्राहक की पहचान, उसका पता/स्थान तथा उसके नवीनतम फोटोग्राफ का सत्यापन करने के लिए पहचान संबंधी आंकड़े प्राप्त करेगा ।

एमजीपीएसवाई के लिए केवल पासपोर्ट दस्तावेज ही केवाईसी की अपेक्षा की पूर्ति करने के लिए समर्थ हैं बशर्ते कि अंशदाता के पते में कोई परिवर्तन न हुआ हो, जिसका उल्लेख एमजीपीएसवाई प्रपत्र और पासपोर्ट में किया गया है ।

मुझे एमजीपीएसवाई के लिए बैंक खाते की जरूरत क्यों है?

आपकी एमजीपीएसवाई बचत का संग्रहण नकद रूप में नहीं किया जा सकता है। जब आप एमजीपीएसवाई में शामिल हो जाते हैं, तो आप अपने बैंक को एक साधारण निर्देश दे देते हैं। आपके निर्देश के आधार पर, आपका बैंक आपके बैंक खाते से एक निश्चित राशि स्वत: ही निकाल लेता है तथा उसे उस संस्था को प्रेषित कर देता है, जो आपकी वृद्धावस्था तथा आरएंडआर बचत को प्रबंधित करेगी। आपको केवल यह सुनिश्चित करना है कि आप अपने बैंक खाते में अपेक्षित राशि जमा करा रहे हैं।

एमजीपीएसवाई के लिए किस प्रकार के बैंक खाते की आवश्यता है ?

एमजीपीएसवाई स्कीम विदेशों में कार्य करने वाले अंशदाताओं के लिए खुली है। अत: अंशदाताओं को एमजीपीएसवाई में योगदान करने के लिए एनआरई/एनआरओ खाता खोलने की आवश्यकता है। यदि आप एक बचत खाते के साथ भारत में इस स्कीम में शामिल हो रहे हैं, तो आपका सेवा प्रदाता इसमें आपकी सहायता कर सकता है।

एनआरई/एनआरओ खाते का क्या अर्थ है?

एनआरई (अनिवासी बाह्य) बैंक खाता एक ऐसा रुपया खाता है जिससे रुपया आपके निवास के देश को भेजा जा सकता है। यह खाता विदेश में विदेशी मुद्रा के साथ अथवा स्थानीय निधि से खोला जा सकता है। जबकि एनआरओ (अनिवासी सामान्य) खाता गैर-संपरिवर्तनीय रुपया खाता है जिसमें से रुपया आपके निवास के देश को वापस नहीं भेजा जा सकता है (अर्थात् आप इस खाते में केवल विदेश से ही पैसा भेज सकते है तथा इसमें एक बार पैसा आ जाने के बाद उसे वापस उस देश नहीं भेजा सकता है, जहां आप निवास कर रहे हैं)।

एनआरआई (अनिवासी भारतीय) इन दो प्रकार के खातों को खोल सकते हैं, यदि उन्हें एक ओर धन अंतरण करने की आवश्यकता होती है, वे सावधि जमा खाता खोल सकते हैं तथा भारत में म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक खरीद सकते हैं।

एमजीपीएसवाई में अंशदान किस प्रकार किया जा सकता है?

भारत में एमजीपीएसवाई स्कीमों अर्थात एनपीएस लाइट और आर एंड आर में प्रथम योगदान चेक के माध्यम से किया जा सकता है। इसके उपरांत, बाद के अंशदान एनपीएस-लाइट और आर एंड आर में स्थायी अनुदेश (एसआई)/इलेक्ट्रॉनिक क्लीरिंग सर्विस (ईसीएस) अनुदेशों के माध्यम से आपके बैंक खाते से सीधे डेबिट किए जाएंगे। अंशदाता के खाते से एमजीपीएसवाई स्कीम के खाते को धनराशि के अंतरण को सुकर बनाने के लिए अंशदाता को एसआई/ईसीएस अनुदेश भरने होंगे और उन्हें नामांकन के समय एमओआईए द्वारा नियुक्त किए गए सेवा प्रदाता को प्रस्तुत करना होगा।

नामिती कौन होता है?

एमजीपीएसवाई अंशदाता किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) को नामित कर सकता है जिन्हें नामिती कहा जाता है, जिसे उसकी मृत्यु के उपरात एमजीपीएसवाई पार्टनर स्कीम के अंतर्गत उसके कोष का अंतरण किया जाएगा। नामिति सामान्यत: आपके पति/पत्नी अथवा बच्चे होते हैं। अंशदाता के लिए यह अनिवार्य है कि वह एमजीपीएसवाई आवेदन-प्ररुप में अपने नामिती के पूर्ण विवरण प्रदान करे ।

मेरे लिए अपना टेलीफोन नम्बर प्रदान करना क्यों महत्वपूर्ण है?

एमजीपीएसवाई नामांकन सहायता डेस्क को एमजीपीएसवाई में आपकी बचत के बारे में आपको कोई महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करने के लिए अथवा यह पुष्टि करने के लिए कि आपके द्वारा किए गए किसी अनुरोध पर कार्रवाई की जा चुकी है, आपको समय-समय पर कॉल करने की आवश्यकता हो सकती है। आपके लिए यह भी उचित रहेगा कि आप भारत में अपनी पत्नी/पति अथवा परिवार के सदस्यों के टेलीफोन नम्बर भी दें। आपके परिवार के सदस्य आपको प्रासंगिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं।

मुझे कैसे पता चलेगा कि एमजीपीएसवाई में मेरी कितनी राशि संचित हो गई है?

कोई अंशदाता एमजीपीएसवाई में दो प्रकार का निवेश कर सकता है। वापसी और पुनर्वास स्कीम तथा पेंशन के अंतर्गत, अंशदाता को यूटीआई और एनएसडीएल केन्द्रीय रिकार्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए) से खातों की विवरणी प्राप्त होगी। इसमें यह दर्शाया जाएगा कि पिछले वर्ष में आपके द्वारा कितनी बचत की गई है तथा उस तारीख तक आपकी संपूर्ण बचत की राशि भी दर्शाई जाएगी।

एनपीएस - लाइट क्या है और मुझे सरकार से क्या लाभ प्राप्त होंगे?

एनपीएस-लाइट समान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एक विशेष स्कीम है। इसका आरंभ भारत सरकार द्वारा आप जैसे लोगों को उनकी वृद्धावस्था के लिए बचत करने में सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है। आपकी वृद्धावस्था बचत का प्रबंधन भरोसेमंद सरकारी क्षेत्र की पेंशन निधि से किया जाएगा।

अंशदाता को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1,000 रुपए और 12,000 रुपए के बीच बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एमओआईए पांच वर्ष के लिए अथवा अंशदाता के भारत लौटने के समय तक, जो भी जल्दी हो, पुरुष कर्मकार के मामले में प्रत्येक वर्ष 1,000 रु0 और महिला कर्मकार के मामले में प्रत्येक वर्ष 2,000 रु0 का सह-अंशदान करेगा।

यूटीआई द्वारा कौन-कौन से वापसी एवं पुनर्वासन (आरएंडआर) बचत लाभ प्रदान किए जाते हैं?
आपकी आरएंडआर बचत का प्रबंधन यूटीआई आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। एमओआईए प्रत्येक ऐसे खाते के लिए पांच वर्ष के लिए अथवा अंशदाता के भारत लौटने के समय तक, जो भी जल्दी हो, अंशदाता के योगदान का 25 प्रतिशत अथवा 1,000 रु0 (जो भी कम हो) का सह-अंशदान करेगा।

एलआईसी के माध्यम से क्या बीमा लाभ प्रदान किए जाते हैं?
जो भी व्यक्ति एमजीपीएसवाई में शामिल होगा उसे प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की ओर से नि:शुल्क जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह जीवन बीमा जनश्री बीमा योजना (जेबीवाई) के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

एमजीपीएसवाई अंशदाता की मृत्यु होने की दुर्भाग्यपूर्ण दशा में, उसके परिवार को एलआईसी की ओर से प्राकृतिक मृत्यु होने पर 30,000 रुपए तथा दुर्घटना में मृत्यु होने पर 75,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना के कारण आंशिक नि:शक्तता से पीड़ित होता है, उसे एलआईसी द्वारा 37,500 रुपए का भुगतान किया जाएगा। यह जीवन बीमा एलआईसी के नियमों के अनुसार प्रदान किया जाएगा। आपकी ओर से एमओआईए प्रीमियक का भुगतान करेगा।

मेरी पीएलआईएफ बचत में वृद्धि कैसे होगी?
आपकी बचत का प्रबंधन एमओआईए द्वारा नियुक्त अभिहित वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। ये संस्थाएं आपकी बचत का आपकी ओर से सरकारी बांडों में निवेश करती हैं आपकी बचत का एक छोटा भाग बड़ी कंपनियों के शेयरों में भी निवेशित किया जाएगा। ऐसा आपके हितों और अधिकारों का संरक्षण करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित दो एजेंसियों पेंशन

निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के नियमों के अनुसार कडाई से किया जाता है।

क्या मुझे अपनी बचत पर कोई गारंटीशुदा अथवा नियत प्रतिलाभ प्राप्त होगा?

जी नहीं। एनपीएस लाइट तथा यूटीआई एमआईएस में आपकी बचत जिस दर से वृद्धि करेगी, वह नियत अथवा गारंटीकृत नहीं है। स्कीम के अंतर्गत प्रतिलाभ बाजार आधारित है।

मेरी पेंशन अथवा पुनर्वासन की राशि क्या हो सकती है?

आपकी पेंशन और पुनर्वासन राशि इस बात पर निर्भर है कि:

(i) आपने किस आयु से और कितनी राशि की बचत की है,
(ii) आपकी बचत पर एनपीएस-लाइट और यूटीआई ने कितना लाभ अर्जित किया है, और
(iii) सह-अंशदान लाभ क्या हैं।

यदि आप अधिक बचत करते हैं, कम आयु से ही बचत आरंभ कर देते हैं और यदि आप किसी निर्धारित समयावधि तक प्रत्येक माह नियमित रूप से बचत करते हैं तो आपको वृद्धावस्था पर उच्च पेंशन तथा आपकी वापसी पर उच्च प्राप्त होगी।

यदि मैं एक माह अथवा कुछ माह तक बचत नहीं कर पाउंगा तो मेरी एमजीपीएसवाई बचत का क्या होगा?

आपके एमजीपीएसवाई खाते में जमा की गई बचत आपके ही नाम पर एनपीए-लाइट और यूटीआई में सुरक्षित रूप से निवेशित रहेगी। परंतु यदि आप अपनी वृद्धावस्था और अपने पुनर्वासन के लिए पर्याप्त बचत संचित करना चाहते हैं, तो आपको नियमित रूप से बचत करनी होगी।

यदि मैं किसी माह में बचत करने में असमर्थ रहता हूं, तो मुझे कोई दंड भरना होगा?

जी नहीं। एमओआईए की ओर से इस पर कोई दंड नहीं है। परंतु, अपर्याप्त राशि के कारण चेक अथवा ईसीएस के बाउंस होने पर बैंक जुर्माना प्रभारित कर सकता है। अंशदाता को ऐसी स्थिति से बचने के लिए अपेक्षित राशि खाते में अवश्य ही रखनी चाहिए।

मैं आरएंडआर बचत को कब निकाल सकता हूं?

आपको आरएंडआर बचत को निकालने की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब आप भारत वापस लौटेंगे अथवा आपके एमजीपीएसवाई में शामिल होने के उपरांत 5 वर्ष बीत गए हों, जो भी पहले हो।

मैं अपनी एनपीएल लाइट बचत को कब निकाल सकता हूं

आप अपने एनपीएस-लाइट खाते से 60 वर्ष की आयु होने पर पेंशन प्राप्त करना आरंभ कर सकते हैं। इस पर पीएफआरडीए की निर्गम नीति लागू होगी।

दावे के निपटान के लिए क्या प्रक्रिया है?

बीमित व्यक्ति (नि:शक्तता के मामले में)/नामिती को बीमे का दावा करने के लिए एमजीपीएसवाई सेवा प्रदाता के कार्यालय में आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ दावा निपटान प्ररूप प्रस्तुत करना होगा। इसके उपरांत, दावा निपटान प्ररूप नोडल एजेंसी (एमओआईए) के माध्यम से आगे प्रक्रमण के लिए एलआईसी को भेजा जाएगा।

क्या मुझे किसी संस्था को किसी शुल्क का भुगतान करना होगा?

जी नहीं, आपको किसी भी संस्था को किसी प्रभार अथवा शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

क्या एनपीएफ लाहर, आरएंडआर तथा जेबीवाई स्कीम में अंशदाता के अनुरक्षण के लिए कोई प्रभार लिया जाता है ?

जी हां । समस्त एमजीपीएसवाई स्कीम में खाता खोलने के लिए तथा उसके अनुरक्षण के लिए प्रभार लिए जाते हैं । अंशदाता प्रभार सीधे उसकी बचत में से काट लिए जाएंगे । तथापि, अंशदाता को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ऐसे समस्त प्रभारों का वहन सह-अंशदान के माध्यम से एमओआईए द्वारा कर लिया जाता है । एलआईसी-जेबीवाई स्कीम के लिए अंशदाता के अंशदान प्रभारों का वहन भी एमओआईए द्वारा किया जाता है ।

जेबीवाई स्कीम के अंतर्गत, मेरी मृत्यु हो जाने पर मेरे नामिती को कितनी राशि प्राप्त होगी?

किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, उसके नामिति को 30,000/- रु0 की राशि संदेय होगी।

दुर्घटना में मृत्यु होने के मामले में, आश्वासन राशि क्या है ?

दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्वासन राशि 75,000/- रु0 है।

यदि ऐसी दुर्घटना के कारण, जिसमें शारीरिक नि:शक्तता हुई है, जीवन बीमा दावे का निपटान किया जाता है, जो क्या नामिती अंशदाता की प्राकृतिक मृत्यु होने पर आश्वासन राशि का दावा कर सकता है ?

यदि स्थायी नि:शक्तता के लिए 75,000/-रु0 प्राप्त होने पर दावे का निपटान किया गया है, तो नामिती अंशदाता की मृत्यु होने पर किसी अन्य राशि के लिए दावा नहीं कर सकता है।

तथापि, यदि आंशिक नि:शक्तता के लिए 37,500/- रु0 का दावा किया गया था, तो नामिती अंशदाता की प्राकृतिक मृत्यु होने पर 30,000/- की मूल राशि का दावा कर सकता है।

किसी दुर्घटना के कारण नि:शक्तता होने के मामले में आश्वासन राशि क्या है?

किसी दुर्घटना के कारण हुई नि:शक्तता होने के मामले में आश्वासन राशि भिन्न-भिन्न है :

1. दुर्घटना के कारण स्थायी संपूर्ण नि:शुक्तता	:	75,000/- रु0
2. किसी दुर्घटना में दोनों आंखों अथवा दोनों हाथों/पैरों की हानि	:	75,000/- रु0
3. किसी दुर्घटना में एक आंख और एक हाथ/पैर की हानि	:	75,000/- रु0
4. किसी दुर्घटना में एक आंख अथवा एक हाथ/पैर की हानि	:	37,500/- रु0

भारत सरकार, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

अकबर भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली 110021, भारत